

# **THE UTTAR PRADESH PARTICIPATORY IRRIGATION**

## **MANAGEMENT ACT, 2009**

(U.P. Act No. 4 of 2009)

### **Arrangement of Sections**



#### **Sections**

##### **CHAPTER-I PRELIMINARY**

- 1 Short title, extent and commencement.
- 2 Definitions

##### **CHAPTER-II WATER USERS' ASSOCIATIONS, THEIR CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS**

- 3 Water users' association to be body corporate
- 4 Objectives of water users' association
- 5 Powers and Functions of water users' association
- 6 Delineation of area of operation of water users' association
- 7 Constitution of water users' association at outlet level (Kulaba samiti)
- 8 Managing committee of water users' association at outlet level (kulaba samiti) and election of its members and office bearers.
- 9 Constitution of water users' associations at alpika, rajbaha and shakha levels
- 10 Managing committee of alpika samiti, rajbaha samiti and shakha samiti
- 11 Constitution of water users' associations at project level (Pariyojna samiti)
- 12 Acceptance of resignation
- 13 Act to apply to existing water users' associations
- 14 Authentication of orders and documents of water users' association
- 15 Act not to be invalidated by infirmity or vacancy etc
- 16 Transfer of management of Irrigation System to water users' associations
- 17 Ownership of Irrigation System to rest with State Government
- 18 Agreement between the Government and water users' association and between water users' associations
- 19 Water budgeting
- 20 Installation of measuring device
- 21 Modes and rates for supply of water to water users' association
- 22 Recovery of dues as arrears of land revenue
- 23 Claims to compensation and remission in case of failure or stoppage of water supply
- 24 Apex committee (Sheersh samiti)
- 25 Appointment of registrar, election officer, competent canal officer and appellate officer
- 26 Deputation of Government employees to water users' association

##### **Chapter III SOURCES OF FUNDS**

- 27 Sources of funds of water users' association
- 28 Utilization of funds
- 29 Budget
- 30 Deposit and administration of the funds
- 31 Reserve fund
- 32 Audit

**Chapter IV**  
**OFFENCES AND PENALTIES**



- 33 Offences and penalties
- 34 Investigation of the offences
- 35 Institution of proceedings
- 36 Compounding of offences
- 37 Appeal
- 38 Liability when person using water unauthorized cannot be identified
- 39 Liability when water runs to waste
- 40 Charges recoverable in addition to penalties and decision of questions under sections 38 and 39
- 41 Punishment under any other law not barred
- 42 Penal charges

**Chapter V**  
**RESOLUTION OF CONFLICT**

- 43 Settlement of disputes
- 44 Appeals

**Chapter VI**  
**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

- 45 Protection of acts done in good faith
- 46 Power of the State Government to issue directions
- 47 Inquiry
- 48 Power to summon and examine witnesses
- 49 Jurisdiction of civil courts
- 50 Training
- 51 Power to make rules
- 52 Power to remove difficulties
- 53 Overriding effect of this Act
- 54 Repeal and saving

# अधिसूचना

## विविध



“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2009)  
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डल पारित हुआ)

जल उपभोक्ता समितियों को सहभागी सिंचाई प्रबंधन के प्रभावी उपकरण के रूप में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए सशक्त करने और उससे संबंधित एवम् आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 1999 में घोषित अपनी राज्य जल नीति में सहभागी पहुंच के माध्यम से समेकित जल संसाधन प्रबंधन विकास को अंगीकार करने का संकल्प लिया है;

और, चूंकि, जल उपभोक्ता समितियों को, साम्यापूर्ण जल वितरण, इसके दक्ष एवं अनुकूलतम उपयोग, सिंचाई एवं जल निकास प्रणाली का रख-रखाव, सतही जल और भू-जल के सहयुक्त उपयोग को बढ़ावा, कमान्ड क्षेत्र के विकास, जल प्रभार का निर्धारण एवं वसूली तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी के संरक्षण में प्रभावी भूमिका सौंपी जानी है।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

### अध्याय—एक प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ	1— (1)	यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।
	(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
	(3)	इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय यह ऐसे दिनांक को प्रभावी होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग सिंचाई प्रणालियों, एक ही सिंचाई प्रणाली के विभिन्न स्तरों (उदाहरणार्थ अल्पिका, रजबहा व अन्य उच्च स्तरों) तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।
परिभाषाएं	2— (1)	जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में,—
	(क)	“अनुबन्ध” का तात्पर्य, निचले स्तर की जल उपभोक्ता समितियों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, के मध्य सिंचाई के लिए पारिमाणिक या क्षेत्र आधार पर जल की आपूर्ति और परिचालन सौंपने, अनुरक्षण और प्रबंधन के संदर्भ में विहित समयावधि हेतु किये जाने वाले अनुबन्ध से है;
	(ख)	“शीर्ष समिति” का तात्पर्य अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं जल प्रबंध की सहभागी पहुंच पर अनुसंधान के लिए, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है जो

सरकार को संबंधित नीति विषयक पृष्ठ पोषण एवं परामर्श प्रदान कर सके;

- (ग) "अपीलीय अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा सक्षम नहर अधिकारी अथवा जल उपभोक्ता समिति, जैसी स्थिति हो, के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई और निर्णय के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (घ) "कार्य क्षेत्र" अथवा "वर्णित क्षेत्र" का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सक्षम नहर अधिकारी द्वारा वर्णित सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र में, जहां तक संभव हो निरंतरता लिए हुए ऐसा भू-क्षेत्र, जो भू-आकृति, जलाकृति तथा/अथवा प्रशासनिक आधार पर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से है;
- (ङ.) "शाखा" का तात्पर्य समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 500 क्यूसेक अथवा अधिक हो;
- (च) "नहर" का तात्पर्य अपने समस्त कार्यों सहित ऐसे जलमार्गों से है, जो गूलों, जल निकास नालियों तथा उनके संबंधित संरचनाओं सहित कमाण्ड क्षेत्र में खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा नहर के प्रयोजनों हेतु उपभोग में रखी गयी समस्त भूमि, भवन, मशीन, चारदीवारी, गेट्स तथा अन्य रचनाएं, वृक्ष, वृक्षारोपण या अन्य उत्पाद, जो राज्य सरकार द्वारा उपयोगित अथवा संबंधित हों, भी हैं।
- (छ) "नहर प्रणाली" का तात्पर्य नहर से है, जिसमें उससे जुड़ी हुई नहरें भी हैं;
- (ज) "कमांड क्षेत्र" का तात्पर्य परिचालन के विहित क्षेत्र, जिसके लिए जल उपभोक्ता समिति गठित की गयी है, के भीतर या तो तोड़ अथवा डाल अथवा अन्य किसी विधि द्वारा सिंचित या सिंचाई योग्य क्षेत्र से है;
- (झ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकारी से है;
- (ञ) "सक्षम नहर अधिकारी" का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (ट) "सक्षम जांच अभिकरण" का तात्पर्य किसी उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समितियां अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी स्थिति हो, से है, जो इस अधिनियम के अधीन किये जाने वाले अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है;
- (ठ) "कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र" का तात्पर्य कमांड क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र से है;
- (ड) "परिकल्पित प्रवाह" का तात्पर्य उस अधिकतम प्रवाह से है जिसके लिए नहर प्रणाली परिकल्पित की गई हो;
- (ढ) "न्यूनता वर्ष" का तात्पर्य किसी व्यावर्तन अथवा जलाशय आधारित नहर प्रणाली के सम्बन्ध में, उस वर्ष से है, जिसमें शीर्ष कार्यों पर जल उपलब्धता सामान्य वर्ष से कम हो;
- (ण) "प्रवाह" का तात्पर्य किसी नहर से होकर समय की प्रति इकाई प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा से है;

- (त) "रजबहा" का तात्पर्य सिंचाई विभाग द्वारा इस नाम से अभिहित नहर अथवा अपने समस्त कार्यो सहित ऐसी नहर से है जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्यूसेक तथा 500 क्यूसेक के मध्य हो;
- (थ) "कलेक्टर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त अधिकारी भी है;
- (द) "निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन संबंधी कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत अधिकारी से है;
- (ध) "खेत" का तात्पर्य कृषि किये जाने वाले खेत से है;
- (न) "खेत निकास नाली" का तात्पर्य अपने समस्त सहायक कार्यो सहित एक ऐसी जल वाहिका से है जो खेतों का अनुपयोगी जल या अधिक जल समीपस्थ जल निकास नाली में प्रवाहित करे;
- (प) "गेज" का तात्पर्य उस चिन्हांकित पैमाने अथवा मापक उपकरण से है जो नहर के विशिष्ट भाग पर जल के स्तर के प्रवाह को माप सके;
- (फ) "सामान्य सभा" का तात्पर्य कुलाबा समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें कुलाबा समिति के सभी सदस्य हों तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस निकाय से है जिसमें ठीक नीचे वाली जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समितियों के सदस्य हों;
- (ब) "सकल कमांड क्षेत्र" का तात्पर्य नहर प्रणाली के उस समस्त क्षेत्र से है जो प्राकृतिक नालियों से घिरा हो;
- (भ) "जलाकृति आधार" का तात्पर्य उस आधार से है जिस पर जल उपभोक्ता समिति के कार्य क्षेत्र जो नालों अथवा प्राकृतिक ढालों के मध्य भू-आकृति आधार पर चिन्हित किया गया हो तथा जिसमें जल सामान्यतः गुरुत्वीय प्रवाह से पहुंच जाता हो;
- (म) "ठीक निचली जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य नहर कमांड में अवस्थित जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस नहर से सीधे निकलने वाली नहर पर गठित हो;
- (य) "ठीक ऊपरी जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में उस जल उपभोक्ता समिति से है जो उस पैतृक नहर के कमांड क्षेत्र हेतु गठित की गई हो जिससे इस जल उपभोक्ता समिति की नहर को जल प्राप्त होता है;
- (क क) "सिंचाई विभाग" का तात्पर्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- (क ख) "सिंचाई प्रणाली" का तात्पर्य सिंचाई परियोजना, जिसे सिंचाई एवं अन्य सहकार्यों के उपयोग हेतु जल प्राप्त करने जिसमें जलाशय तथा/अथवा व्यावर्तित नहर प्रणाली, आप्लावित जल वाहिकाएं, डाल सिंचाई योजनाएं ताल तथा ऐसे ही अन्य कार्य सम्मिलित हों, के लिए किया जाय, से है। इसमें नहर कमाण्ड में खेतों से अनुपयोगी या अधिक जल को निकटस्थ जल निकास नाली तक निकालने वाली खेत जल निकास नाली भी सम्मिलित है;
- (क ग) "भू-धारक" का तात्पर्य खतौनी अथवा बन्दोबस्ती रजिस्टर के अनुसार भूमि के स्वामी अथवा असामी अथवा उप असामी अथवा कब्जे वाला बंधकदार अथवा

पट्टेदार अथवा अनुज्ञापी अथवा भू-धृतिधारक अथवा अन्य से है और सिंचाई से लाभान्वित होने वाला व्यक्ति भी है;



- (क घ) "डाल सिंचाई" का तात्पर्य उस सिंचाई से है जिसमें जल को उसके स्रोत से उठाकर ऊँचे स्तर के क्षेत्र में अवस्थित भूमि हेतु आपूर्ति किया जाता हो;
- (क ङ.) "डाल सिंचाई योजना" का तात्पर्य उस सिंचाई योजना से है, जिसमें जल को ऊपर उठाकर नहर प्रणाली को पूरित किया जाता है;
- (क च) "निचले स्तर के जल उपभोक्ता समिति" का जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में तात्पर्य वर्णित क्षेत्र में अवस्थित उन सभी जल उपभोक्ता समिति से है जो उस विशिष्ट जल उपभोक्ता समिति से निचले स्तर पर हो;
- (क छ) "प्रबंध समिति" का तात्पर्य, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, निर्वाचित अथवा नामित अभिहित सदस्यों की समिति से है;
- (क ज) "अल्पिका" का तात्पर्य सिंचाई विभाग द्वारा इस रूप में अभिहित नहर अथवा अपने समस्त कार्यों सहित ऐसी नहर से है, जिसका परिकल्पित शीर्ष प्रवाह 20 क्यूसेक से अधिक न हो;
- (क झ) "सामान्य वर्ष" का तात्पर्य एक व्यावर्तन प्रणाली अथवा जलाशय आधारित नहर के संदर्भ में एक ऐसे कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें शीर्ष पर जल उपलब्धता (उस जल तथा जल सहित जो जलाशय से छोड़ा जाना हो) सिंचाई परियोजना प्रतिवेदन में परिकल्पित की गई अथवा बाद में पुनरीक्षित की गई जल उपलब्धता के समतुल्य रही हो;
- (क ञ) "पदाधिकारी" का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष से है;
- (क ट) "कुलाबा" का तात्पर्य अपने सभी कार्यों सहित अल्पिका, रजबहा अथवा शाखा अथवा मुख्य नहर अथवा पक्की गूल पर निर्मित संरचना से है जो नहर से जल लेकर गूल के माध्यम से खेतों तक पहुंचाती है;
- (क ठ) "सहभागी सिंचाई प्रबंधन" का तात्पर्य नहर प्रणाली के प्रत्येक स्तर एवं सिंचाई प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में हितग्राहियों की सहभागिता से है;
- (क ड) "पूर्व देयों" का तात्पर्य जल शुल्क निर्धारण व वसूली के संदर्भ में उस धनराशि से है, जो भू-धारक अथवा जल उपभोक्ता समिति को प्रेषित बीजक अथवा नोटिस में उल्लिखित हो परन्तु उनके द्वारा भुगतान न किये गये हों;
- (क ढ) "पंजीयक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नामित उस अधिकारी से है जिसे जल उपभोक्ता समितियों के संदर्भ में पंजीकरण का कार्य सौंपा जाय;
- (क ण) "संरक्षित निधि" का तात्पर्य धारा 31 के अधीन निधि से है;
- (क त) "टेल गूल" का वही तात्पर्य है जैसा खण्ड (क ट) में कुलाबा के लिए परिभाषित है। जहां कहीं कुलाबा का उल्लेख होगा उसमें टेल गूल समाहित होगा;
- (क थ) "उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति के संदर्भ में सिंचाई प्रणाली के वर्णित

कार्य क्षेत्र में अवस्थित उच्चतर स्तर की जल उपभोक्ता समितियों से है;

- (क द) "जल का अपव्यय" का तात्पर्य नहर सुरक्षा के अतिरिक्त नहर के एस्केप चैनल के माध्यम से जल का अनुपयोगी बहाव अथवा सिंचाई या अन्य वैध उपयोग के अतिरिक्त जल के अवैध उपयोग से है;
- (क ध) "जल प्रभार" का तात्पर्य जल उपभोक्ता समिति/भू-धारक द्वारा सिंचाई विभाग/उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को जल पूर्ति के लिए ऐसी दरों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, संदेय धनराशि से है;
- (क न) "जल दर" का तात्पर्य आपूर्ति बिन्दु पर प्रभार्य इकाई क्षेत्र/आयतन के जल मूल्य से है;
- (क प) "जल मार्ग" या "क्षेत्र प्रवाह मार्ग" या "गूल" का तात्पर्य समस्त सहायक कार्यों सहित किसी प्रवाह मार्ग से है जो किसी कुलाबा से जल प्राप्त करे और खेतों को वितरित करे;
- (क फ) "जल उपभोक्ता" का तात्पर्य कमांड क्षेत्र में जल उपयोग करने वाले किसी एकल व्यक्ति अथवा निकाय अथवा संगठन अथवा समूह से है;
- (क ब) "जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य एक नहर के डाल एव तोड़ सिंचाई हेतु विशिष्ट स्तर पर गठित जल उपभोक्ताओं के संगठन से है;
- (क भ) "परियोजना स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य परियोजना स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे परियोजना समिति कहा जायेगा;
- (क म) "शाखा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य शाखा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे शाखा समिति के नाम से जाना जायेगा;
- (क य) "रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य रजबहा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे रजबहा समिति कहा जायेगा;
- (ककक) "अल्पिका स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य अल्पिका पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे अल्पिका समिति कहा जायेगा;
- (कखख) "कुलाबा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति" का तात्पर्य कुलाबा स्तर पर गठित जल उपभोक्ता समिति से है जिसे कुलाबा समिति कहा जाएगा;
- (कगग) "सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत भूमि" का तात्पर्य सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल से है।

(2) अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873 में उनके लिए समनुदेशित हैं।

#### अध्याय-दो

#### जल उपभोक्ता समिति, उसका गठन, शक्तियां एवं कृत्य

जल उपभोक्ता समिति  
निगमित निकाय होगा

3—

इस अधिनियम के अधीन गठित और निबंधक द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति एक निगमित निकाय होगी और उसके पास निगमित निकाय की शक्तियों के अलावा यह शक्ति भी होगी कि वह अपने प्रभार में सौंपी गयी सिंचाई प्रणाली का

प्रबन्ध करे और उसे अनुरक्षित रखे, तथा अपने नियंत्रण एवं प्रबन्धन के अधीन सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आवश्यक, उचित एवं समीचीन सभी कार्य करें परन्तु किसी जल उपभोक्ता समिति को यह शक्ति नहीं होगी कि वह सरकार द्वारा सौंपी गयी किसी सम्पत्ति को किसी भी रीति से अन्यसंक्रांत करे।

जल उपभोक्ता समिति के 4—  
उद्देश्य

(एक)

जल उपभोक्ता समिति का मुख्य उद्देश्य जल प्रबन्धन में जल उपभोक्ताओं की सहभागिता सम्पादित करना तथा जल उपभोक्ताओं के मध्य उनके क्षेत्र में जल प्रणाली के स्वामित्व की भावना भी उत्पन्न करना है। स्पष्टतया विनिर्दिष्ट रूप से जल उपभोक्ता समिति:—

(दो)

साम्यपूर्ण, दक्ष और सामयिक जल वितरण को प्रोत्साहित करेगी तथा उसकी सुरक्षा करेगी;

(तीन)

वैज्ञानिक और मितव्ययी जल प्रयोग के संव्यवहारों को ग्रहण करने के लिए जल उपभोक्ताओं को बढ़ावा देगी; सतही और भू-गर्भ जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करेगी;

(चार)

तीव्र और अपयोजित कृषि उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहित करेगी; और

(पांच)

पर्यावरण और पारिस्थितिकी का संरक्षण करेगी।

जल उपभोक्ता समिति की 5—  
शक्तियां और कृत्य

(एक)

(1) जल उपभोक्ता समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:—

(दो)

किसी भूमि में प्रवेश करना, बाधाओं को दूर करना किसी जलमार्ग को बंद करना और उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय करना,

(तीन)

यदि उसके कृत्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो किसी खड़ी फसल, बाड़ा या झाड़ी के किसी भाग की कटाई करना या/और सफाई करना,

(चार)

नहर जल के उपयोग का निरीक्षण करने या उसे विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, या उसके द्वारा सिंचित और जल दर के प्रभार्य भूमि की पैमाइश करने के लिए किसी भवन या जलमार्ग में प्रवेश करना और ऐसे नहरों के समुचित विनियमन तथा प्रबन्धन के लिए आवश्यक सभी उपाय करना,

कोई दुर्घटना घटित होने या किसी नहर जल उपभोक्ता समिति के प्रति आशंका होने की स्थिति में ऐसे नहर से संलग्न किन्हीं भूमियों पर प्रवेश करना और वह ऐसे समस्त कार्यों को निष्पादित कर सकती है जो ऐसी दुर्घटना को रोकने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो:

परन्तु यदि जल उपभोक्ता समिति किसी भवन या निवास गृह से लगे हुए मैदान या उद्यान, जिसे नहर जल की आपूर्ति न की जाती हो, में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है तो वह ऐसे भवन, मैदान या उद्यान के अध्यासी को ऐसा करने के अपने आशय के संबंध में न्यूनतम सात दिन की लिखित पूर्व सूचना देगी:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन प्रवेश की प्रत्येक स्थिति में जल उपभोक्ता समिति, ऐसे प्रवेश के समय क्षति के किसी विधिसम्मत दावा के लिए प्रतिकर निविदत्त करेगी जो इस धारा के अधीन कृत



किसी कार्यवाही द्वारा आवश्यक हो, और इस प्रकार निविदत्त धनराशि की पर्याप्तता से संबन्धित विवाद की स्थिति में वह उसे तत्काल सक्षम नहर अधिकारी को विनिश्चयार्थ संदर्भित करेगी। सक्षम नहर अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- 2(क) कुलाबा, अल्पिका या रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों को सम्पादित करेगी:—
- (एक) नहर के आंकड़ों तथा जल प्रयोग की प्रास्थिति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचित करना और सामान्य निकाय की बैठक में उपलब्ध जल के दक्ष प्रबन्धन के लिए सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करना;
- (दो) जल आय व्ययक और मृदा की स्थिति के अनुसार फसल योजना तैयार करना;
- (तीन) जल मांग पत्र तैयार करना और इसको, यथा स्थिति, तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;
- (चार) आयतनमितीय के आधार पर यथास्थिति तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी से जल प्राप्त करना और इसे तात्कालिक अवर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या भूमि धारकों को साम्यपूर्ण तथा पारदर्शी रीति से आपूर्त करना;
- (पांच) विहित रीति से जल वितरण प्रबन्धन की रूपरेखा तैयार करना, लागू करना, विनियमित करना और उसका अनुश्रवण करना;
- (छः) यथा विहित रीति से जल आयव्ययक तैयार करना तथा जल विवरण अनुरक्षित रखना;
- (सात) अनधिकृत सिंचाई तथा जल छीजन की रोकथाम करना, धारा 33 के अधीन यथा स्थिति तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति/सक्षम नहर अधिकारी को अपराधों के सम्बन्ध में सामयिक रिपोर्ट देना सुनिश्चित करना और विवेचक अभिकरण के साथ सहयोग करना;
- (आठ) जल सम्परीक्षा सहित फसल के मौसमवार या वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति सामान्य निकाय तथा उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को प्रस्तुत करना;
- (नौ) अपने प्रवर्तन क्षेत्र के नियंत्रण क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना;
- (दस) जल अभिलेखन तथा जल प्रभारों के मूल्यांकन एवं उनकी वसूली की प्रक्रिया में यथाविहित रीति से सहायता करना और उसमें सहभागिता करना;
- (ग्यारह) अपने प्रभार में आस्तियों की सूची तैयार करना और इसे यथाविहित रीति से अन्य अभिलेखों के साथ अनुरक्षित रखना;
- (बारह) इसके सदस्यों या अवर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के मध्य होने वाले विवादों या भिन्नताओं का समाधान करना;
- (तेरह) इस अध्यादेश के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित किन्हीं अन्य क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

- (ख) कुलाबा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों का सम्पादन करेगी :-
- (एक) जल मार्गों और मैदानी नालों का निर्माण करना और उन्हें अनुरक्षित रखना;
- (दो) भू-धारकों के मध्य उपलब्ध जल का वितरण करना।
- (ग) माइनर या रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों का सम्पादन करेगी:-
- (एक) प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व अपने प्रभार में सिंचाई प्रणाली का वार्षिक अनुरक्षण और सुधार करना;
- (दो) अपने प्रभार में सिंचाई प्रणाली के विशेष अनुरक्षण एवं सुधारों को क्रियान्वित करना;
- (तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना।
- (घ) शाखा समिति अपने प्रवर्तन क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी:-
- (एक) पूर्व और वर्तमान जल प्रभारों की वसूली एवं वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में यथास्थिति निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी को परामर्श देना;
- (दो) सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके चक्रानुक्रम और सिंचाई अन्तरालों की संख्या पर विचार करते हुए प्रत्येक सिंचाई मौसम प्रारम्भ होने के पूर्व शाखा के लिए जल आय व्ययक और प्रारम्भिक सिंचाई कार्यक्रम के सम्बन्ध में सार्वजनिक नोटिस तैयार करना और जारी करना;
- (तीन) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति और सक्षम नहर अधिकारी से परामर्श करके नहर प्रचलन अनुसूचियां तैयार करना;
- (चार) निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के क्रियाकलापों का अनुश्रवण एवं समन्वय करना;
- (ड.) परियोजना समिति परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जल प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों पर सक्षम नहर अधिकारी और शीर्ष समिति को परामर्श देगी।
- (3) जहाँ जल उपभोक्ता समिति कुलाबा स्तर पर विद्यमान न हो, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति भी विद्यमान न हो, वहां कुलाबा स्तर की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर अधिकारी में निहित होंगी।
- (4) जहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हों, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य रजबहा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति में निहित होंगी और जहाँ रजबहा स्तर पर भी जल उपभोक्ता समिति विद्यमान न हो, वहाँ अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की शक्तियाँ और कृत्य सक्षम अधिकारी में निहित होंगी।
- (5) जहाँ जल उपभोक्ता समिति रजबहा स्तर, शाखा स्तर और परियोजना स्तर पर विद्यमान न हो, वहां उसकी शक्तियाँ और कृत्य सक्षम नहर अधिकारी में निहित होंगी।

जल उपभोक्ता समिति के  
परिचालन के क्षेत्र का वर्णन

6 (1)

सक्षम नहर अधिकारी, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, सिंचाई परियोजना या उसके किसी भाग के नियंत्रण क्षेत्र का जलीय और/ या प्रशासनिक आधार पर ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णन या उपान्तर कर सकता है जिसके लिए उपयुक्त स्तर के जल उपभोक्ता समिति का गठन विहित रीति से किया जायेगा :



परन्तु यह कि परिचालन के क्षेत्र के उपान्तर से सम्बन्धित ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक कि जल उपभोक्ता समिति और प्रभावित होने की आशंका वाले भू-धारकों को विहित रूप से उचित अवसर न प्रदान किया जाय।

(2)(क)

उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में, (क) कार्रवाई क्षेत्र के अद्यतन शजरा नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि और अन्य यथाविहित दस्तावेज होंगे।

(ख)

अधिसूचना को जल उपभोक्ता समिति के कार्रवाई क्षेत्र में और उसके समीपवर्ती स्थानों पर व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग)

इच्छुक भू-धारकों द्वारा मांग किये जाने पर उक्त प्रतियाँ ऐसा भुगतान करने पर जो विहित किया जाय, उसे उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)

अधिसूचना या उसके किसी भाग द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अधिसूचना के तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(4)

अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और तत्पश्चात् ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उक्त अधिसूचना उपान्तरित हो जाएगी। परन्तु यह कि सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा।

कुलाबा समिति के स्तर पर  
जल उपभोक्ता समिति  
का गठन

7 (1)

कुलाबा के कार्रवाई क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समिति का गठन किया जायेगा।

(2)

कुलाबा के समस्त जल उपभोक्ता कुलाबा समिति के सामान्य निकाय का गठन करेंगे और विहित अर्हता रखने वाले केवल वयस्क सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। अवयस्क सदस्यों की दशा में उनके नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय में उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार होगा। यदि नैसर्गिक संरक्षक सामान्य निकाय का पहले से सदस्य है तो उसे केवल एक बार अपना मत देने का अधिकार होगा।

(3)

कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के किसी पद पर चयनित किये जाने के लिए पात्र नहीं है, कुलाबा समिति की प्रबन्ध समिति का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा।

कुलाबा स्तर पर जल  
उपभोक्ता समिति की  
प्रबंध समिति और उसके  
सदस्यों तथा पदाधिकारियों  
का निर्वाचन

8 (1)

कुलाबा के नियंत्रण को उप नियंत्रणों की ऐसी संख्या में विभाजित किया जाएगा, जैसी विहित किया जाये। प्रत्येक उपनियंत्रण में भू-धारकों की लगभग एक समान संख्या होगी।

(2)

प्रत्येक कुलाबा समिति की एक प्रबन्धन समिति होगी जिसका एक अध्यक्ष होगा। समिति में प्रत्येक

- उपनियंत्रण से एक प्रतिनिधि होगा। यदि प्रबन्धन समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला या पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो प्रत्येक अप्रतिनिधित्व वाली श्रेणी के सापेक्ष एक व्यक्ति और ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को सामान्य सभा के सदस्यों में से प्रबन्धन समिति द्वारा सहयोजित किया जाएगा। यह प्रबंध समिति कुलाबा समिति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगी।
- (3) उपनियंत्रण के प्रतिनिधि को उपनियंत्रण के भू-धारकों में से यथाविहित अवधि और रीति से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपनियंत्रणों के प्रतिनिधियों में से कुलाबा समिति की प्रथम बैठक में स्वयं चयन किये जाएंगे, कुलाबा समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सक्षम सिंचाई अधिकारी द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की अवधि यथाविहित होगी:
- परन्तु यह कि सामान्य सभा का कोई सदस्य प्रबन्ध समिति में पदाधिकारी के एक से अधिक पद को धारण नहीं करेगा:
- परन्तु यह और कि सामान्य सभा का कोई सदस्य, जो कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी हो, किसी भी स्तर के किसी अन्य जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति में पदाधिकारी नहीं होगा, यदि कुलाबा समिति का कोई पदाधिकारी किसी उच्चस्तरीय जल उपभोक्ता समिति का पदाधिकारी चुना जाए तो वह कुलाबा समिति का पदाधिकारी नहीं रहेगा।
- (4) यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे तो उसे यथाविहित रीति से वापस बुलाया जा सकता है।
- (5) यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति में चुन लिया गया है वापस बुला लिया गया है या मृत है तो इस प्रकार हुयी रिक्ति को यथाविहित समय के भीतर भरा जायेगा।
- (6) यदि कोई कुलाबा, रजबहा या शाखा से सीधे जल प्राप्त करता है तो सिंचाई अधिकारी जल उपभोक्ता समिति के गठन की कार्यवाही करेगा, जिसमें सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलाबा समितियों की विनिर्दिष्ट संख्या होगी और यथास्थिति रजबहा या शाखा के स्तर पर जल उपभोक्ता समिति से सम्बद्धता होगी। ऐसे जल उपभोक्ता समिति का स्तर अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के समान होगा। अग्रतर ऐसे जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ यथा स्थिति रजबहा या शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा होगी।
- (7) यदि उपधारा (6) में यथा पूर्वोक्त जल उपभोक्ता समिति का गठन सम्भव न हो तो सम्बन्धित कुलाबा समितियों की सम्बद्धता का स्तर प्रत्येक ऐसे जल उपभोक्ता समिति एवं उससे सम्बद्ध की जाने वाली कुलाबा समिति के साथ यथा विहित परामर्श के पश्चात निर्धारित किया जायेगा। ऐसे मामले में कुलाबा समिति की प्रबन्धन समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजन के लिये जल उपभोक्ता समिति की सम्बद्धता

की सामान्य सभा होगी। यदि सम्बद्धता सम्भव न हो, तो सक्षम सिंचाई अधिकारी सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सम्बद्धता होने तक ऐसी कुलाबा समितियों के लिये तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

**स्पष्टीकरण:** सीधे जल प्राप्त करने वाली कुलाबा समितियों के समूह के गठन और संघ के प्रयोजनार्थ, समीपस्थता और सामान्य जल प्रवाह के सिद्धांत पर प्रमुख रूप में विचार किया जाएगा। उपधारा (6) और (7) के अनुसार गठन और सम्बद्धता करने में अक्षमता की आपवादिक परिस्थिति में, सक्षम सिंचाई अधिकारी ऐसी कुलाबा समिति के लिए जल उपभोक्ता समिति के तात्कालिक उच्च स्तर पर सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) यदि कोई कुलाबा सीधे नहर से जल प्राप्त करता है तो सक्षम सिंचाई अधिकारी ऐसी कुलाबा समिति/समितियों के लिए तात्कालिक उच्च स्तर जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन

9. (1) अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के प्रचालन के क्षेत्र के रूप में वर्णित क्षेत्र के लिए जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जायेगा जिसे क्रमशः अल्पिका समिति, रजबहा समिति और शाखा समिति कहा जाएगा।

(2) अपने प्रचालन के क्षेत्र में ठीक नीचे के स्तर के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति के सभी सदस्य, यथा स्थिति, अल्पिका समिति, रजबहा समिति या शाखा, समिति की साधारण निकाय का गठन करेंगे।

(3) शाखा नहर से आफ-टेक करने वाली अल्पिकाओं के जल उपभोक्ता समितियों की प्रबन्ध समिति की दशा में, विनिर्दिष्ट संख्या में जल उपभोक्ता संघों को समाविष्ट करते हुए अल्पिका स्तर पर एक जल उपभोक्ता समिति गठित की जा सकती है और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। ऐसे जल उपभोक्ता समितियों की प्रास्थिति शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की होगी। अग्रतर, ऐसे जल उपभोक्ता संघ की प्रबन्ध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगी।

(4) यदि उपधारा (3) में यथा उपर्युक्त रूप से जल उपभोक्ता समिति का गठन साध्य न हो, तो संबंधित अल्पिका समितियों की संबद्धता के स्तर का अवधारण प्रत्येक ऐसी अल्पिका समिति और सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति से यथा विहित परामर्श के पश्चात किया जाएगा। ऐसी दशा में अल्पिका स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति प्रतिनिधित्व और अन्य कृत्यों के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध जल उपभोक्ता समिति की साधारण निकाय का गठन करेगी।

(5) यदि कोई अल्पिका मुख्य नहर से सीधे शुरूआत करती है तो सक्षम नहर अधिकारी ऐसी अल्पिका समिति के लिये ऐसी सम्बद्धता तक के लिये रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के सभी कृत्यों और शक्तियों का निर्वहन करेगा।

अल्पिका समिति, रजबहा समिति, और शाखा समिति की प्रबंध समिति	10	(1)	अल्पिका, रजबहा और शाखा स्तर पर प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति के लिये एक प्रबंध समिति होगी। समिति में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसे विहित किये जाय। यदि प्रबंध समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला या नहर के अंतिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत का प्रतिनिधित्व न हो तो प्रबंध समिति द्वारा सामान्य निकाय के सदस्यों अथवा यथास्थिति नहर के अन्तिम छोर पर स्थित समुचित स्तरीय पंचायत में से प्रत्येक गैर प्रतिनिधित्व वाले वर्ग के प्रति एक व्यक्ति को सहयोजित किया जाएगा। ऐसी प्रबंध समिति जल उपभोक्ता समिति के कृत्यों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।
		(2)	अल्पिका, रजबहा, और शाखा स्तर पर जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के सदस्य यथा विहित अवधि और रीति में निर्वाचित किये जायेंगे।
		(3)	यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अधिनियम के अधीन विहित कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहता है तो उसे यथाविहित रीति में वापस बुलाया जा सकता है।
		(4)	प्रबंध समिति के पदाधिकारी, समिति के निर्वाचित सदस्यों में से स्वयं समिति के द्वारा यथाविहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।
परियोजना समिति स्तर पर जल उपभोक्ता समिति का गठन।	11	(1)	शाखा समितियों के सभी अध्यक्षों से परियोजना समिति का गठन होगा।
		(2)	परियोजना समिति के सदस्य अपने में से यथा विहित रूप से सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष का चयन करेंगे।
त्याग-पत्र की स्वीकृति	12	(1)	किसी भी स्तर के जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति के किसी सदस्य का त्याग-पत्र संबंधित जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।
		(2)	किसी जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष का त्याग-पत्र उसके ठीक उच्चतर स्तर के जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।
विद्यमान जल उपभोक्ता समितियों पर अधिनियम का लागू होना	13.		इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व के दिनांक को शासनादेश 2188/27-4-67-डब्लू/96, दिनांक 1 मई, 06 के अनुसरण में गठित, किसी वर्णित क्षेत्र की कोई विद्यमान जल उपभोक्ता समिति कार्यशील बनी रहेगी, यदि सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति के बीच हुए करार के उपबंध इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों से संगत हो।
जल उपभोक्ता समितियों के आदेशों और दस्तावेजों का प्रमाणीकरण	14.		किसी जल उपभोक्ता समिति के सामान्य निकाय या प्रबंध समिति के सभी अनुज्ञापन, आदेश, निर्णय, सूचनाएं और अन्य दस्तावेज जल उपभोक्ता समिति के सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।
किसी कमी या रिक्ति आदि द्वारा अधिनियम का अविधिमानीकृत न होना	15.		किसी जल उपभोक्ता समिति के साधारण निकाय या प्रबंध समिति के कार्य या कार्यवाहियां ऐसे जल उपभोक्ता समिति के गठन में केवल किसी रिक्ति त्रुटि की विद्यमानता के कारण अविधिमानी न होगी यदि ऐसी बैठक में यथा विहित गणपूर्ति और अध्यक्ष उपस्थित हो।

जल उपभोक्ता संघों को 16 (1)  
सिंचाई प्रणाली प्रबंधन का  
अंतरण किया जाना

धारा-7 की उपधारा (1) या धारा-9 की उपधारा (1) के अधीन किसी जल उपभोक्ता समिति के गठन की अधिसूचना के पश्चात, सिंचाई विभाग द्वारा अपने प्रचालन के क्षेत्र में आने वाली सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन आगामी फसल के मौसम में, (यथास्थिति, रबी या खरीफ) यथास्थिति, कुलाबा, अल्पिका या रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को सौंप दिया जाएगा। यदि ऐसा फसल मौसम एक महीने के भीतर ही पड़ रहा हो तो ऐसी सुपुर्दगी आने वाले आगामी फसल मौसम से प्रभावी होगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा नियोजित और निधि पोषित अल्पिका के पुनःस्थापना जैसे सिविल कार्य धारा-6 की उपधारा (1) के अधीन प्रबंध के अंतरण पश्चात जल उपभोक्ता समिति द्वारा कार्यान्वित किये जायेंगे। जहाँ कोई जल उपभोक्ता समिति योजना को कार्यान्वित करने में सक्षम न हो वहाँ सिंचाई विभाग इन कार्यों को जल उपभोक्ता समिति के संतोषानुरूप जल उपभोक्ता समिति की ओर से विशिष्ट मामले के रूप में इन कार्यों को करवायेगा।

सिंचाई प्रणाली का 17.  
स्वामित्व राज्य सरकार में  
होगा।

सिंचाई प्रणाली, जिसका प्रबंधन इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जल उपभोक्ता समिति को अंतरित किया गया है, का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा।

जल उपभोक्ता समिति 18.  
और सरकार के मध्य और  
जल उपभोक्ता समिति के  
मध्य करार।

(1) जल उपभोक्ता समिति को जल के थोक आपूर्ति तथा संबंधित मुद्दों के प्रयोजनों के लिये रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति यथा विहित रीति में सिंचाई विभाग के साथ एक करार करेगी। प्रत्येक अन्य निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अपने ठीक उच्चतर स्तरीय जल उपभोक्ता समिति के साथ समान करार करेगी।

(2) किसी लिखित करार या किसी विद्यमान करार के पुनः नवीकरण के अभाव में नहर के जल की प्रत्येक आपूर्ति राज्य सरकार या इस प्रयोजनार्थ पदाभिहित सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकथित दरों और शर्तों के अधीन रहते हुए दी गई समझी जायेगी।

(3) करार के निबंधनों और शर्तों के अनुरूपता के सिवाय, नहर के जल के उपयोग का कोई अधिकार या, यथास्थिति, सिंचाई विभाग/जल उपभोक्ता समिति द्वारा किसी जल उपभोक्ता समिति/भूमिधारी को उपलब्ध जल की आपूर्ति की बाध्यता का कोई अधिकार न तो प्राप्त किया जाएगा न प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

(4) निम्नलिखित मामलों के सिवाय, यथास्थिति, सक्षम नहर अधिकारी या जल उपभोक्ता समिति निचली स्तरीय जल उपभोक्ता समिति या किसी भूमिधारी को जल की आपूर्ति नहीं रोकेगी।

(एक) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा आदेशित और स्वीकृत किसी कार्य के निष्पादनार्थ जब कभी और जब तक के लिये ऐसी आपूर्ति को रोकना आवश्यक न हो जाए;

(दो) जब कभी और जब तक के लिये ऐसा जल मांग उचित स्वरूप में अनुरक्षित न हो और उससे जल के बहाव की बरबादी को रोकना आवश्यक हो;

(तीन) ऐसी अवधि के भीतर जैसी कि सक्षम नहर अधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाय;

- (5)(एक) कोई जल उपभोक्ता समिति अपने जल वितरण के कार्य को विक्रय, या दर किरायेदारी पर नहीं देगा या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी।
- (दो) कोई भी जल उपभोक्ता समिति किसी नहर से संलग्न किसी कार्य, भवन या भूमि के उपयोग के अधिकार को बेचने या दर किरायेदारी पर देने या अन्यथा प्रभावित करने का हकदार न होगा।
- (तीन) यदि यह पाया जाता है, कि किसी जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति अपने कृत्यों का निष्पादन करने में विफल रही है तो सक्षम नहर प्राधिकारी उसे अपने कृत्यों के निष्पादन में सक्षम बनाने हेतु सहायता देगा और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। यदि ऐसी सहायता के बावजूद प्रबंध समिति कार्य सम्पादन में विफल रहती है तो सक्षम नहर अधिकारी उसके विलय और नई प्रबंध समिति के गठन का आरंभ ऐसी रीति में कर सकता है जैसी कि विहित की जाय।



जल का आय-व्ययक बनाना	19.	प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को ध्यान में रखते हुए फसल मौसम के पर्याप्त पहले से अपने जल बजट के अनुसार फसल योजना तैयार करेगी और तदनुसार एक प्राथमिक सिंचाई कार्यक्रम की योजना सक्षम नहर अधिकारी के परामर्श से तैयार करेगी। ऐसा फसल पैटर्न एवं सिंचाई कार्यक्रम राज्य सरकार की कृषि एवं सिंचाई नीतियों की संगति में होगा।
मापन उपकरणों की स्थापना	20.	सक्षम नहर अधिकारी यथाविहित जल उपभोक्ता समिति को जलापूर्ति के बिंदु पर जल के परिमाण को मापने के लिये मापन उपकरणों को उपलब्ध करायेगा और इसका रख-रखाव करेगा और व्यावहारिक स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मौसम के लिये प्रति वर्ष जल संवहन क्षमता भी अवधारित करेगा।
जल उपभोक्ता समितियों हेतु जलापूर्ति के लिये रीति और दरें	21.	सिंचाई विभाग द्वारा रजबहा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति को आपूर्ति बिंदु पर परिमाण की माप करते हुए जल की आपूर्ति की जायेगी। सक्षम नहर अधिकारी और जल उपभोक्ता समिति प्रत्येक फसल सत्र के आरंभ पर प्रवाह की संयुक्त रूप से जांच करेंगे। फसल अवधि के दौरान जल उपभोक्ता समिति को जल दिये जाने के सही निर्धारण के लिए यदि आवश्यक हो, तो अन्य समयों पर भी, प्रवाह को संयुक्त रूप से मापा जा सकता है। प्रत्येक फसल सत्र के अंत पर फसल वार जल का प्रभार आरोपित किया जायेगा।
भू-राजस्व के बकाये के रूप में देयों की वसूली	22.	इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन की जा रही या की जाने वाली वसूली के किसी अन्य रीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विधिसम्मत रूप से देय और जल उपभोक्ता समिति की प्रबंध समिति द्वारा प्रमाणित कोई धनराशि जो भूस्वामी/ जल उपभोक्ता/ जल उपभोक्ता समिति द्वारा अंशदत्त रह गई हो, को



कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा।



जलापूर्ति की विफलता या 23.  
रोके जाने की दशा में  
प्रतिपूर्ति और माफी

राज्य सरकार या जल उपभोक्ता समिति के नियंत्रण से परे, या किसी मरम्मत, या नहर में किसी परिवर्तन या परिवर्धन या उसमें जल के समुचित बहाव को विनियमितीकरण हेतु किये गए किन्हीं उपायों या सिंचाई के स्थापित मार्ग के अनुरक्षण के कारण से जो कि सक्षम नहर अधिकारी आवश्यक समझता है, नहर में जल की विफलता या रोके जाने के द्वारा हुई किसी हानि के संबंध में राज्य सरकार या जल उपभोक्ता समिति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया जाएगा, किंतु यथा विहित ऐसी हानि उठाने वाला भूमि-धारी, यथास्थिति, जल उपभोक्ता समिति या सक्षम नहर अधिकारी की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत जल के उपयोग के लिए संदेय सामान्य जल प्रभारों से माफी के लिए दावा कर सकता है।

शीर्ष समिति

24 (1)

राज्य सरकार शीर्ष समिति के नाम से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन कर सकती है जिसमें एक अध्यक्ष और 20 से अनधिक ऐसी संख्या में सदस्य होंगे जिसमें से आधे सदस्य विहित पात्रता के सरकारी पदधारी होंगे और शेष अन्य ऐसी जल उपभोक्ता समिति जैसी विहित किया जाये, के अध्यक्ष होंगे।

(2)

यह समिति राज्य में सहभागी, सिंचाई प्रबंधन प्रक्रिया के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान के लिये जिम्मेदार होगी और राज्य सरकार को आवश्यक फीडबैक (पृष्ठ प्रेषण) उपलब्ध करायेगी तथा नीति विषयक मामलों में सलाह देगी।

(3)

यह समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी जैसी विहित की जाय।

निबंधक, निर्वाचन  
अधिकारी, सक्षम नहर  
अधिकारी और अपीलीय  
अधिकारी की नियुक्ति

25 (1)

राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों यथा निबंधक, निर्वाचन अधिकारी, सक्षम नहर अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

(2)

उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

जल उपभोक्ता समिति में  
सरकारी कर्मचारियों की  
प्रतिनियुक्ति

26 (1)

राज्य सरकार यथा विहित रीति में जल उपभोक्ता समितियों के अनुरोध पर अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर सकती है।

(2)

जल उपभोक्ता समितियों द्वारा कार्यालय क्षेत्र से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को वेतन और/या खाद्यान्न के रूप में यथा अनुमोदित मजदूरी पर किराये पर रखा/नियुक्त किया जा सकता है।

(3)

पदाधिकारियों और जल उपभोक्ता समितियों के नियमित कर्मचारियों के पारिश्रमिक और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

## अध्याय—तीन निधियों के स्रोत



जल उपभोक्ता समिति की निधियों के स्रोत	27	(1)	जल उपभोक्ता समिति की आय का मुख्य स्रोत उसके द्वारा आपूर्त किये गये जल हेतु संग्रह किये गये शुल्क का अंश, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, होगा।
		(2)	कोई जल उपभोक्ता समिति निम्नलिखित स्रोतों से भी निधियाँ जुटा सकती है:-
		(एक)	सक्षम नहर प्राधिकारी के अनुमोदन से सिंचाई प्रणाली के परिचालन क्षेत्र में सम्पत्ति तथा आस्तियों की आय से।
		(दो)	शास्तियों तथा प्रशमन शुल्क।
		(तीन)	भू-धारकों से अंशदान।
		(चार)	दान
		(पांच)	जमा राशियों पर ब्याज
		(छः)	उधार
		(सात)	सेवाओं हेतु प्राप्त फीस
		(आठ)	राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अनुदान
		(नौ)	अन्य स्रोतों से आय जैसा विहित किया जाये।
निधियों का उपयोग	28		जल उपभोक्ता समिति के निधियों का उपयोग उनके उद्देश्यों की पूर्ति तथा कृत्यों के निष्पादन हेतु किया जायेगा।
	29		जल उपभोक्ता समिति की प्रबन्ध समिति अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक बजट तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय को प्रदर्शित किया जायेगा जिसे विहित रीति से सामान्य सभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
निधियों को जमा करना एवं उसका प्रशासन	30		जल उपभोक्ता समिति किसी अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में समिति के नाम से खोले गये खाता में अपनी निधि जमा करेगी।
संरक्षित निधि	31		प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति संरक्षित निधि को एक पृथक खाता में अनुरक्षित करेगी और इनका उपयोग ऐसी रीति से करेगी जैसी विहित की जाये।
अंकेंक्षण	32		प्रत्येक जल उपभोक्ता समिति अपने वार्षिक लेखा की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक से करायेगी जैसा विहित किया जाये।

## अध्याय—चार अपराध एवं शास्तियां

अपराध एवं शास्तियां	33	(1)	जो कोई भी सिंचाई प्रणाली के वर्णित क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य, विधिक प्राधिकार के बिना करता है, अर्थात्
		(एक)	किसी नहर या जल निकासी संकर्म को क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, वृद्धि या बाधित करता है;
		(दो)	किसी नहर या जल निकासी मार्ग में या 'के अधीन', 'को' या 'से', जल प्रवाह या जलापूर्ति के साथ हस्तक्षेप करता है या जलापूर्ति में वृद्धि अथवा कमी करता है;
		(तीन)	सिंचाई प्रणाली के कार्यवाही क्षेत्र के बाहर समुचित प्राधिकार के बिना जल का उपयोग करता है;
		(चार)	जल की बर्बादी को रोकने के लिये समुचित सावधानी लेने में उपेक्षा करता है या उससे जल के प्राधिकृत

- वितरण के साथ हस्तक्षेप करता है, या ऐसे जल का अप्राधिकृत रूप से उपयोग करता है;
- (पांच) किसी नहर जल को विकृत या अपमिश्रित कर देता है जिससे यह उस प्रयोजनार्थ जिसके लिये इसका सामान्य उपयोग किया जाता है, कम उपयोगी हो जाय;
- (छः) लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा निश्चित किये गये वाटर गेज या किसी तल चिन्हों को नष्ट कर देता है;
- (सात) किसी नहर या जल निकासी मार्ग के किनारे या किनारों या किसी संकर्म के आर-पार जानवर या कोई वाहन नियमों के प्रतिकूल जब उसे इससे दूर रहने की इच्छा की गई है, पार करता है, पार कराता है सिवाय उन स्थानों के जहां पशुघाट की व्यवस्था की गयी हो और इसके लिए सड़क बनायी गयी;
- (आठ) अनुसूचित सिंचाई सारिणी के क्रियान्वयन में बाधा डालता है;
- (नौ) नहर अथवा जल निकासी मार्ग पर अतिक्रमण अथवा नहरी आस्तियों अथवा शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है;
- (दस) इस अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है;

तो वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकती है अथवा अर्थदण्ड, जो रुपये एक हजार से कम न हो तथा क्षति मूल्य की सीमा अथवा दोनों तक हो सकता है, की शास्ति का दायी होगा।

जब भी उपधारा (1) में वर्णित अपराध किसी कम्पनी अथवा सोसाइटी द्वारा किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय का प्रभारी हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के कृत्यों के लिये उत्तरदायी हो तथा उन कृत्यों को करने की शक्ति रखते हो तथा कम्पनी/सोसाइटी के विरुद्ध भी ऐसे अपराध हेतु कार्यवाही की जायेगी तथा दण्डित किया जायेगा।

जब कभी भी किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए अर्थदण्ड लगाया जाता है तो उपयुक्त न्यायालय अर्थदण्ड का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रतिकर के रूप में ऐसे व्यक्ति को जिसको अपराध से क्षति हुई हो, को भुगतान करने हेतु निर्देश दे सकता है।

अपराधों की विवेचना

34. (1)

उपधारा 33 (1) के अधीन अपराधों की विवेचना हेतु अल्पिका समिति अथवा अन्य उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति सक्षम विवेचक अभिकरण का कार्य करेगी। तात्कालिक उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, उन अपराधों की विवेचना करेंगे जो निम्नतर स्तरीय जल उपभोक्ता समितियों के क्षेत्राधिकार में घटित हो।

(2)

जिस जल उपभोक्ता समिति के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित हो उसका अध्यक्ष अपराध की सूचना संज्ञान में आते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को सूचित करने हेतु बाध्य होगा तथा सक्षम विवेचक अभिकरण के अनुरोध पर वह विवेचना में सहयोग देगा।

(3)

पुलिस अधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध घटित होने अथवा उसका प्रयत्न होने की जानकारी पाते ही तुरन्त सक्षम विवेचक अभिकरण को उनके घटित होने अथवा प्रयत्न होने की सूचना देंगे तथा सक्षम विवेचक अभिकरण को इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग में सहायता देंगे।

		(4)	सक्षम विवेचक अभिकरण अपने क्षेत्राधिकार में धारा 33 के अधीन दण्डनीय अपराधों की जानकारी होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र विवेचना प्रारम्भ कर देगी।
		(5)	विवेचना के संबंध में सक्षम विवेचक अभिकरण उन्ही शक्तियों का प्रयोग करेगी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी को संज्ञेय अपराधों की विवेचना के लिये समय-समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत प्राप्त है।
		(6)	यदि किसी जल उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष उपधारा (2) के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे सक्षम विवेचक अभिकरण द्वारा सहअपराधी माना जायेगा तथा तदनुसार दण्डित किया जायेगा।
कार्यवाही संस्थित करना	35.		किसी भी न्यायालय द्वारा सक्षम विवेचक अभिकरण की लिखित शिकायत के सिवाय धारा 34 के अधीन किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
अपराधों का प्रशमन	36.	(1)	इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध हेतु अभियोजित व्यक्ति, कम्पनी या सोसाइटी द्वारा आवेदन किये जाने पर, सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी, जैसी स्थिति हो, किसी भी स्तर पर प्रशमन फीस जो अपराध हेतु निर्धारित अर्थदण्ड से अधिक न हो, लगा कर अपराध का प्रशमन कर सकते हैं: परन्तु यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी/सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पूर्व में दो बार अपराध कर चुकी हो अथवा जिसकी भूमि को इस प्रकार के अनाधिकृत कृत्य से पूर्व में दो बार लाभ हो चुका हो तो अपराधों का प्रशमन नहीं किया जायेगा।
		(2)	यदि उपधारा (1) के अंतर्गत लगाये गये प्रशमन फीस का पूर्ण अथवा आंशिक भाग असंदत्त है तो सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी इसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करवायेगा।
अपील	37.		धारा 33 के अधीन निर्णय और आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति समय-समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार सक्षम न्यायालय में अपील कर सकता है।
दायित्व जब अनधिकृत रीति से जल उपयोग करने वाले की पहचान न हो सके	38.		यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल का प्रयोग अनधिकृत रीति से किया गया है, और यदि वह व्यक्ति, जिसके कार्य या उपेक्षा द्वारा ऐसा उपयोग हुआ है, की पहचान नहीं की जा सकती है, तो व्यक्ति जिसकी भूमि से ऐसा जल प्रवाहित हुआ है, यदि ऐसी भूमि को उससे लाभ हुआ है, या यदि ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है या यदि ऐसी भूमि को कोई लाभ नहीं हुआ है और ऐसी भूमि के स्वामी ने इस प्रकार से जल के अधिकृत प्रवाह की सूचना सक्षम अधिकारी को समय से नहीं दी है, तो ऐसे आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति संयुक्त या विवाक्षित रूप से, जैसा मामला हो, ऐसे प्रयोग हेतु किये गये प्रभारों के दायी होंगे।

दायित्व जब जल का प्रवाह बर्बाद होता है	39.	यदि किसी नहर या जल प्रवाह मार्ग जल बर्बादी को प्रवाहित होता है, और यदि जल उपभोक्ता समिति द्वारा जांच के पश्चात् व्यक्ति जिसके कृत्य या उपेक्षा से जल की ऐसी बर्बादी होने की खोज नहीं की जा सकती है, तो ऐसे नहर या जल प्रवाह मार्ग से आपूर्त जल के सम्बन्ध में प्रभार्य समस्त व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद किये गये जल के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
धारा 38 व 39 के अधीन शास्ति तथा निर्णय के अतिरिक्त वसूली योग्य प्रभार	40. (1)	जल के अप्राधिकृत प्रयोग या बर्बादी के लिये समस्त प्रभार ऐसे प्रयोग या बर्बादी के कारण उपगत किसी शास्ति के अतिरिक्त वसूल किये जा सकेंगे।
	(2)	धारा 38 या 39 के अधीन जल उपभोक्ता समिति द्वारा किये गये सभी निर्णय अपीलीय अधिकारी को अपील के अध्यक्ष होंगे।
अन्य विधियों के अधीन अभियोजन से रोक नहीं	41.	इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन या द्वारा दण्डनीय अपराधों के लिये किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने से नहीं रोकेगी।
शास्तिक प्रभार	42.	अप्राधिकृत सिंचाई हेतु सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर का कम से कम 10 गुना प्रभार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि अप्राधिकृत सिंचाई की पुनरावृत्ति होती है तो यह प्रभार सामान्य प्राधिकृत सिंचाई दर के 20 गुना के बराबर तक होगा।

### अध्याय—पांच विवाद का समाधान

विवादों का निपटारा	43. (1)	जल उपभोक्ता समिति के गठन, प्रबंधन, शक्तियों एवं कृत्यों के संबंध में विवाद अथवा मतभेद का समाधान निम्नानुसार होगा:
	(एक)	जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान उसकी प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा।
	(दो)	जल उपभोक्ता समिति के सदस्य तथा प्रबंध समिति के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान यथास्थिति सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
	(तीन)	जल उपभोक्ता समितियों के मध्य विवाद या मतभेद का समाधान सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
	(2)	उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक विवाद अथवा मतभेद का समाधान संदर्भित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
अपील	44 (1)	जल उपभोक्ता समिति के निर्णय से व्यथित कोई पक्ष सन्निकट उच्च स्तरीय जल उपभोक्ता समिति अथवा उसके न गठित होने की दशा में सुसंगत सक्षम नहर अधिकारी को अपील कर सकता है।

- (2) निर्णय या आदेश के तीस दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील की जायेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक अपील का निस्तारण दाखिल किये जाने के तीस दिन के भीतर किया जायेगा।
- (4) सक्षम नहर अधिकारी के निर्णय अथवा आदेश से व्यथित कोई पक्ष ऐसे निर्णय या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

### अध्याय-छः प्रकीर्ण प्रावधान

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण   | 45. | किसी भी स्तर पर किसी जल उपभोक्ता समिति के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।  |
| निर्देश दिये जाने की राज्य की शक्ति         | 46. | जल उपभोक्ता समितियों को स्थापित करने के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार सामान्य प्रकृति के ऐसे आदेश या निदेश, जैसा वह आवश्यक समझें, जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।  |
| जांच  | 47. | यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जल उपभोक्ता समिति के किसी कार्य से इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ हो या अनियमितता हुई है तो यह आदेश द्वारा सक्षम नहर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन जांच करने या इसी तरह की कार्यवाही करने का निर्देश दे सकती है तथा सक्षम नहर अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी उस जांच अथवा मुकदमे के परिणाम की सूचना राज्य सरकार को, ऐसी अवधि के भीतर जैसी आदेश में विहित की जाय, प्रेषित करेगा। |
| साक्षी को बुलाने तथा परीक्षण करने का अधिकार | 48. | इस अधिनियम के अन्तर्गत जाँच हेतु अधिकृत कोई अधिकारी उन सभी शक्तियों, जो साक्ष्य के बुलाने तथा परीक्षण से संबंधित हैं, का उपयोग उसी प्रकार कर सकेगा जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सिविल न्यायालय को प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसी प्रत्येक जाँच एक न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगी।  |
| सिविल न्यायालयों की अधिकारिता               | 49. | जल की आपूर्ति अथवा इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित दावा के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार अथवा जल उपभोक्ता समिति के विरुद्ध किये गये समस्त दावों का विचारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।  |
| प्रशिक्षण                                   | 50. | प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा जल उपभोक्ता समितियों का उनके कार्यों के निष्पादन हेतु इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षमता वर्धन किया जायेगा तथा तदोपरान्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान के आधार पर सहायता भी प्रदान की जा सकेगी।  |

नियम बनाने की शक्ति	51.	(1)	राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति	52.	(1)	यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करके निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी रहेंगे।
		(2)	उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव	53.		उत्तरी भारत नहर और जल निकास अधिनियम, 1873, उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 और उत्तर प्रदेश पंचायत राज (जल प्रबंध समिति) नियमावली, 1983 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

निरसन और अपवाद

- 54—(1) उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अध्यादेश, 2008 एतद्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर  
प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या—8  
सन् 2008

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में 74,000 किमी<sup>0</sup> लम्बी नहर प्रणाली और 29,000 नलकूप राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। उत्तर प्रदेश का सकल कमांड क्षेत्र 2,579 करोड़ हेक्टेयर है जिसके 66 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। सिंचित क्षेत्र के कुल 1.697 करोड़ हेक्टेयर के 26.3 प्रतिशत भाग की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। उक्त सिंचाई सुविधाओं के बाजजूद कमांड क्षेत्र की कृषि उत्पादकता देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपर्याप्त थी। नहर द्वारा सिंचाई अपनी पूर्ण कुशलता के बावजूद कामयाब नहीं हो सकी जिसका कारण अपर्याप्त अनुरक्षण था, जिसके अन्तर्गत राजस्व की अल्प वसूली और प्रबन्धन पर बढ़ता हुआ व्यय तथा राज्य सरकार का पूर्ण प्रबन्धन भी है। अन्य चिन्ताजनक पहलुओं में कमांड क्षेत्र में अधिक मात्रा में कृषि जोत थी जिसके कारण कृषक आधुनिक साधनों को अपनाने में आर्थिक रूप से अक्षम थे। जिसके फलस्वरूप सरकारी संस्थानों के लिये सिंचाई जल का वितरण, सिंचित क्षेत्र के अभिलेख का रख-रखाव, राजस्व की वसूली और प्रबन्धन आदि कठिन हो गया था। यह महसूस किया गया कि कमांड क्षेत्र के कृषि जोतों की उत्पादकता घटती जायेगी जब तक कि कमांड क्षेत्र के कृषक अपनी समिति न बना लें और आधुनिक कृषि के तरीकों, सिंचाई व निवेश प्रबन्धन न अपना लें। अतएव, नहर जल के आनुपातिक और वांछित उपयोग और समुदाय के सहयोग से सिंचित कृषि के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिये यह आवश्यक था कि जल उपभोक्ता समिति का गठन करके सामुदायिक सहयोग प्राप्त किया जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर जल उपभोक्ता समिति का गठन करने और उन्हें सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रभावी माध्यम के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सशक्त करने के लिये व्यवस्था की जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 को उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्ध, अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahabhagi Sinchai Prabandhan Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 19, 2009.



THE UTTAR PRADESH PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT ACT, 2009

(U.P. ACT No. 4 of 2009)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature Assembly)

AN

ACT

*to provide* for empowering the water users' association to play their role as effective instruments of participatory irrigation management and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the State Government has in its State Water Policy declared in 1999 resolved to adopt integrated water resources management through participatory approach;

AND WHEREAS, water users' associations have to be given an effective role in equitable distribution of water and its efficient and optimum use, operation and maintenance of irrigation and drainage systems, promotion of conjunctive use of surface and ground water, command area development, assessment and recovery of water charges and protection of environment and ecology.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: -

**CHAPTER-I**

**PRELIMINARY**

Short title,  
extent and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Participatory Irrigation Management Act, 2009,

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) Save as otherwise expressly provided in this Act, it shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette appoint and different dates may be appointed for different areas, different irrigation systems, different levels (e.g., minor canal level, distributary canal level and other higher levels) of an irrigation system and for different provisions of this Act.

Definitions

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

- a) **“Agreement”** means an agreement between the lower-level water users' association and upper level water users' association or the competent canal officer, as the case may be, for the supply of water on volumetric or area basis for irrigation water and handing over of operation, maintenance and management;
- b) **“Apex Committee”** means a state level committee constituted by the State Government for monitoring, evaluation and research on participatory approach to water management so as to give feedback and advice to Government on related policy matters;



- (c) **"Appellate Officer"** means an officer authorized by the State Government to hear and decide the appeal against order and decision of a competent canal officer or a water users' association, as the case may be;
- (d) **"Area of Operation"** or **"Delineated Area"** in relation to a water users' association means a contiguous block of land in the command area of an irrigation system delineated by a competent canal officer on topographic, hydraulic and/or administrative basis, as may be notified by the State Government;
- (e) **"Branch"** means a canal with all works whose designed head discharge is 500 cusec or more;
- (f) **"Canal"** means a channel with all works used for irrigating fields including water courses, drains and their appurtenant structures in the command area. It also includes all lands occupied by the State Government for the purposes of a canal, and all buildings, machinery, fences, gates and other erections, trees, plantations or other produce occupied by or belonging to the State Government upon such lands;
- (g) **"Canal System"** means a canal including the canals linked therewith;
- (h) **"Command Area"** means an area whether irrigated or capable of being irrigated under any irrigation system either by gravity flow or by lift or by any other method within prescribed area of operation, for which a water users' association is formed;
- (i) **"Competent Authority"** means the State Government or any authority notified by the State Government;
- (j) **"Competent Canal Officer"** means an officer of Irrigation Department, Uttar Pradesh authorized by the State Government to perform any function under this Act within the area of his jurisdiction;
- (k) **"Competent Investigating Agency"** means an upper level water users' association or the competent canal officer, as the case may be, responsible for investigating the offences under this Act;
- (l) **"Culturable Command Area"** means a culturable area within the gross command area;
- (m) **"Designed Discharge"** means the maximum discharge for which a canal system has been designed;
- (n) **"Deficit Year"** in relation to a diversion system or reservoir based canal system, means a year in which the water availability at the head works is less than that in a normal year;
- (o) **"Discharge"** means volume of water passing through a canal per unit of time;

- (p) **"Distributary"** means a canal so designated by the irrigation department or a canal with all works, whose designed head discharge is between 20 cusec and 500 cusec;
- (q) **"Collector"** shall include an officer appointed to exercise all or any of the powers of a Collector provided under this Act;
- (r) **"Election Officer"** means an officer authorized by the State Government to perform functions related to elections of representative of a water users' association;
- (s) **"Field"** means agricultural field;
- (t) **"Field Drain"** means a channel with all subsidiary works to discharge waste or surplus water from a field to the nearest drain;
- (u) **"Gauge"** means a graduated scale or measuring device to measure the flow or level of water at a particular section of canal;
- (v) **"General Body"** in relation to a kulaba samiti shall mean a body consisting of all members of that kulaba samiti and in relation to a upper level water users' association shall mean the body consisting of all members of managing committee of immediate lower level water users' associations;
- (w) **"Gross Command Area"** means a gross area commanded by an irrigation system and bounded by natural drains;
- (x) **"Hydraulic Basis"** means the basis for identifying an area of operation of a water users' association served by a canal system on topographical basis bounded by natural depressions or drains having major area that can receive irrigation water by gravity flow;
- (y) **"Immediate Lower Level Water Users' Association"** in relation to a water users' association in the command area of a canal means a water users' association in the command area of a direct offtake from that particular canal;
- (z) **"Immediate Upper Level Water Users' Association"** in relation to a water users' association means a water users' association in the command area of the particular parent canal from which canal system of that water users' association offtakes;
- (aa) **"Irrigation Department"** means Irrigation Department of the Uttar Pradesh Government;
- (ab) **"Irrigation System"** means an irrigation project for harnessing water for irrigation and other allied uses which includes reservoir-fed and/ or river diversion system of canals, open head channels, lift irrigation schemes, tanks and the like including the field drains to discharge waste or surplus water from the fields in a canal command to the nearest drain;
- (ac) **"Land-holder"** means owner as per khatouni or register-bandobast or a tenant or sub-tenant or a mortgagee in possession or licensee or tenure holder or lessee or otherwise, and includes person who is to be benefited by irrigation.
- (ad) **"Lift Irrigation"** means the irrigation in which water needs to be lifted from its source and supplied to the lands situated on higher level.

- (ae) **"Lift Irrigation Scheme"** means the irrigation scheme in which water is lifted from its source and is supplied to a canal system;
- (af) **"Lower Level Water Users' Associations"** in relation to a water users' association means all the water users' associations at lower level, in the delineated area of operation of that particular water users' association;
- (ag) **"Managing Committee"** means a committee of members elected or nominated or designated as such in such manner as may be prescribed;
- (ah) **"Minor"** means a canal designated as such by the irrigation department or canal with all works whose designed head discharge is not more than 20 cusecs;
- (ai) **"Normal Year"** in relation to a diversion system or a reservoir-based canal system means a calendar year in which the water available at the head works (including the water that is allowed to be discharged from the reservoir and losses there from) is as envisaged in the Irrigation Project Report or as revised subsequently by the State Government;
- (aj) **"Office Bearer"** means the Chairperson, the Secretary or the Treasurer of a water users' association;
- (ak) **"Outlet or Kulaba"** means a structure along with its appurtenant works fixed or constructed on minor, distributary or branch canal or main canal or pucca water course to receive water from canal and to deliver it to fields through water course;
- (al) **"Participatory Irrigation Management"** means participation of stakeholders at all levels of irrigation system and in all aspects of irrigation management;
- (am) **"Previous Dues"** in relation to assessment and recovery of water charges means amount mentioned in a bill or in a notice sent to land-holders or water users' associations but not paid by them;
- (an) **"Registrar"** means an officer of irrigation department authorized by the State Government to perform the functions of registration etc. in respect of water users' associations;
- (ao) **"Reserve Fund"** means a fund under section 31;
- (ap) **"Tail Gul"** will carry similar meaning as outlet or kulaba defined in para (ak). Wherever outlet or kulaba is referred it would automatically include "Tail Gul";
- (aq) **"Upper Level Water Users' Associations"** means all the higher level water users' associations to of that water users' association in the delineated area of operation of the irrigation system.
- (ar) **"Wastage of Water"** means wasteful running of water through escape channel (except for canal safety) or otherwise instead of using it as per irrigation plan and other legitimate purposes;
- (as) **"Water Charges"** means such sum of money payable by a water users' association/a land-holder to the Irrigation Department/higher level water users' association/ lower-level water users' association as the case may be for the supply of water to it at such rates as may be notified from time to time by the State Government;

- (at) **“Water Rate”** means price chargeable at point of supply per unit area/quantity of water;
- (au) **“Water Course” or “Field Channel” or “Gul”** means a channel with all subsidiary works which receives water through an outlet and distributes it to the fields;
- (av) **“Water User”** means an individual or body corporate or an association or a group, using water in a command area;
- (aw) **“Water Users’ Association”** means a body of water users at a particular level of a canal system for flow as well as lift irrigation;
- (ax) **“Water Users’ Association at Project Level”** means a water users’ association constituted at project level to be known as Pariyojna Samiti.
- (ay) **“Water Users’ Association at Branch Level”** means a water users’ association constituted at branch level to be known as Shakha Samiti;
- (az) **“Water Users’ Association at Distributary Level”** means a water users’ association constituted at distributary level to be known as Rajwaha Samiti;
- (aaa) **“Water Users’ Association at Minor Level”** means a water users’ association constituted at minor level to be known as Alpika Samiti;
- (abb) **“Water Users’ Association at Outlet Level”** means a water users’ association constituted at outlet level whether of the minor or the distributary or the branch or the main canal to be known as Kulaba Samiti;
- (acc) **“Lands under Participatory Irrigation Management Act”** means the lands under culturable command of an irrigation system.
- (2) Words and expressions not defined shall have the meanings assigned to them in the Northern India Canal and Drainage Act, 1873.

## **Chapter – II**

### **WATER USERS’ ASSOCIATIONS, THEIR CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS**

Water users’  
association to be  
body corporate

3. Every water users’ association (WUA) constituted and registered under this Act by the Registrar shall be a body corporate and shall besides the powers of a body corporate have the power to manage and maintain the irrigation system given in its charge, and to do all things necessary, proper or expedient for the safety and security of the Government property under its control and management provided that no water users’ association shall have the power to alienate in any manner any property handed over to it by the Government.

Objectives of  
water users’  
association

4. The main objective of water users’ association is to bring about water users’ participation in water management and also to create among the water users’ a sense of ownership of irrigation system in their area. More specifically, a water users’ association shall:-

- (i) promote and secure equitable, efficient and timely water distribution;
- (ii) motivate water users for adopting practices of scientific and economic use of water;
- (iii) encourage conjunctive use of surface and ground water;
- (iv) encourage intensified and diversified agricultural production system; and
- (v) protect environment and ecology.

**5 (1)** A water users' association shall have powers: -

- (i) to enter on any land, remove obstructions, close any channel, and do other things necessary for carrying out its functions;
- (ii) to cut down or/ and clear away any part of any standing crop, fence or bush if it is necessary to carry out its functions;
- (iii) to enter into any building or water-course for the purpose of inspecting or regulating the use of canal water, or for measuring the lands irrigated thereby and chargeable with a water rate and to do all things necessary for the proper regulation and management of such canals;
- (iv) to enter in case of any accident happening or being apprehended to a canal, water users' association upon any lands adjacent to such canal, and may execute all work which may be necessary for the purpose of preventing such accident:

Provided that If a water users' association proposes to enter into any building or enclosed court or garden attached to a dwelling-house not supplied with canal water, it shall previously give the occupier of such building, court or garden at least seven days' notice in writing of its intention to do so:

Provided further that every case of entry under this section, the water users' association shall at the time of such entry, tender compensation for any lawful claim of damage which may be occasioned by any proceeding under this section: and in case of dispute as to the sufficiency of the amount so tendered, it shall forthwith refer the same to the competent canal officer for decision. The decision of competent canal officer shall be final.

(2) (a) A water users' association at kulaba, minor or distributary level shall perform the following functions in the area of its operation: -

- (i) to inform members regarding canal statistics and water use status and invite suggestions, if any, for efficient management of the available water in the general body meeting;
- (ii) to prepare crop plan as per water budget and soil condition;
- (iii) to prepare water indent and submit it to immediate upper level water users' association or competent canal officer, as the case may be;
- (iv) to receive water from immediate upper level water users' association or competent canal officer, as the case may be, on volumetric basis and to supply it to its immediate lower level water users' associations or land-holders in an equitable and transparent manner;
- (v) to design, implement, regulate and monitor its own water sharing arrangement, in the manner prescribed;
- (vi) to prepare water budget and maintain water account in such manner as may be prescribed;
- (vii) to prevent unauthorized irrigation and wastage of water, to ensure timely reporting of offences under section 33 to immediate upper level water users' association/ competent canal officer, as the case may be, and to cooperate with the investigating agencies;
- (viii) to prepare and submit crop season wise or annual reports including water audit to general body and to upper level water users' association or the competent canal officer as the case may be;

(ix) to plan, design and implement activities relating to command area development in its area of operation;

(x) to assist and participate in such manner as may be prescribed in the process of recording of irrigation and assessment and recovery of water charges;

(xi) to prepare inventory of assets in its charge and maintain it with other records in such manner as may be prescribed;

(xii) to resolve dispute or difference among its members or lower level water users' associations;

(xiii) to undertake any other activities required for accomplishing the objectives of this Act.

(b) A water users' association at kulaba level shall perform the following additional functions in the area of its operation: -

(i) to construct and maintain water courses and field drains;

(ii) to distribute available water among land holders.

(c) A water users' association at minor or distributary level shall perform the following additional functions in the area of its operation: -

(i) to carry out annual maintenance and repairs of the irrigation system in its charge before commencement of each irrigation season;

(ii) to implement special maintenance and repairs of the irrigation system in its charge;

(iii) to monitor and coordinate the activities of the lower level water users' associations.

(d) A shakha samiti shall perform the following functions in the area of its operation:

(i) to give advice to the lower-level water users' associations or the competent canal officer, as the case may be, regarding annual maintenance and recovery of previous and current water charges etc;

(ii) to prepare and issue a public notice of water budget and preliminary irrigation program for the branch before commencement of each irrigation season considering number of rotations and irrigation interval in consultation with the competent canal officer;

(iii) to prepare canal operation schedules in consultation with lower level water users' associations and the competent canal officer;

(iv) to monitor and coordinate the activities of the lower level water users' associations.;

(e) The parijojana samiti shall give advice to competent canal officer and apex committee on problems and issues related to water management within the project area.

(3) Where there is no water users' associations at kulaba level the powers and function thereof shall vest in the water users' association at minor level and where there is no water users' association at minor level also the powers and functions of water users' association at kulaba level shall vest in the competent canal officer.

(4) Where there is no water users' associations at minor level the powers and function thereof shall vest in the water users' association at distributary level and where there is no water users' association at distributary level also the powers and functions of water users' association at minor level shall vest in the competent canal officer.

(5) Where there is no water users' association at distributary level, branch level and project level the powers and function thereof shall vest in the competent canal officer.

6. (1) The competent canal officer may, by notification in the official gazette, delineate or modify on hydraulic and/or administrative basis, the command area of an irrigation project or part thereof to be an area for which water users' association of appropriate level shall be constituted in such manner as may be prescribed;

Delineation  
of area of  
operation of  
water users'  
association



Provided that no such notification regarding modification of a delineated area shall be issued unless a reasonable opportunity is provided to the water users' associations and land-holders likely to be affected.

(2) The notification under sub-section (1), -

(a) shall consist of a certified copy of updated shajra map of area of operation and other documents as may be prescribed.

(b) shall be widely displayed in and in the vicinity of the area of operation of the water users' association.

(c) on demand by any interested land-holder, the copies shall be made available to him on such payment as may be prescribed.

(3) Any person aggrieved by the notification or part thereof may within thirty days from the date of notification, file an appeal before the appellate officer.

(4) The appellate shall within three months of receipt of the appeal pass such order as he thinks fit and thereupon the notification shall from the date specified in such order stand modified. Provided that no such order shall be made without giving the person concerned an opportunity of being heard.

7. (1) For the area delineated as an area of operation of an outlet, water users' association shall be constituted.

Constitution  
of water  
users'  
association at  
outlet level  
(Kulaba  
samiti)

(2) All the water users of the outlet shall constitute the general body of the kulaba samiti and only the adult members with prescribed eligibility shall have the right to vote. In case of non adult members, their natural guardians may represent them in the general body and shall also have the right to vote. If the natural guardian is already a member of the general body, then he/she shall have the right to exercise his/her vote only once.

(3) No person who is not eligible to be elected to an office of the Gram Panchayat, shall be eligible to stand for election to the managing committee of a kulaba samiti.

8. (1) The command of an outlet shall be divided into such number of subcommands as may be prescribed. Each subcommand shall have almost equal number of landholders.

Managing  
committee of  
water users'  
association at  
outlet level  
(kulaba samiti)  
and election of  
its members and  
office bearers.

(2) There shall be a managing committee for every kulaba samiti headed by a Chairperson. The committee shall have one representative each from every subcommand. If there is no representation of person belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes or of women or panchayats in the managing committee, one person against each unrepresented category and chairman of jal prabandhan samiti of gram panchayat shall be co-opted by the managing committee from amongst members of the general body. Such managing committee shall be responsible to discharge the functions of the kulaba samiti.

(3) The representative of subcommand shall be directly elected from amongst the land-holders of the subcommand for such period and in such manner as may be prescribed. The Chairperson and other office bearers of the managing committee shall be elected by itself from amongst the representatives of the subcommands in the first meeting of Kulaba Samiti. The first meeting of such Kulaba Samiti shall be presided over by the competent canal officer. The tenure of the Chairperson and other office bearers shall be such as may be prescribed:

Provided that no member of the general body shall hold more than one post of office bearer in the managing committee:

Provided further that no member of the general body who is an office bearer in the managing committee of a kulaba samiti shall be an office bearer in the managing committee of any other water users' association at any level. In case an office bearer of a kulaba samiti is elected as office bearer of an upper-level water user association, he shall cease to be an office bearer of the kulaba samiti.



(4) If any member of managing committee fails to discharge the duties under the Act, he may be recalled in such manner as may be prescribed.

(5) If a member of the managing committee has been elected to upper-level water users' association, has been recalled or is dead, the position thus falling vacant shall be filled within prescribed time.

(6) If an outlet directly offtakes from distributary or branch then the competent canal officer shall move for constitution of a water users' association comprising of specified number of kulaba samitis of direct offtakes and its affiliation with water users' association at distributary or the branch as the case may be. The status of such water users' association shall be that of a water users' association at minor level. Further, the managing committee of such water users' association shall form the general body of water users' association at distributary or branch level as the case may be for purpose of representation and other functions.

(7) If the constitution of water users' association as aforesaid in sub-section (6) is not feasible, then the level of affiliation of kulaba samitis concerned shall be determined after consultation as prescribed with each such kulaba samiti and affiliating water users' association. The managing committee of the kulaba samiti in such case shall form the general body of the affiliating water users' association for purpose of representation and other functions. In case, affiliation is not feasible, the competent canal officer shall discharge all functions and powers of immediate upper level water users' association for such kulaba samiti(s) till such affiliation.

**Explanation:** For the purpose of constitution and federation of cluster of direct offtaking kulaba samitis, the principle of contiguity and common hydrological flow shall be prime consideration. In case of exceptional situation of inability to constitute and affiliate as in sub-sections (6) and (7), competent canal officer shall discharge all functions and powers of immediate water users' associations for such kulaba samiti.

(8) If kulaba directly offtakes from main canal, the competent canal officer shall discharge all functions and powers of immediate upper level water users' association for such kulaba samiti(s).

Constitution of water users' associations at alpika, rajbaha and shakha levels

9.(1) For the area delineated as area of operation of a minor, distributary and branch level water users' association, water users' associations shall be constituted which shall be known as alpika samiti, rajbaha samiti and shakha samiti respectively.

(2) All the members of the managing committee of immediate lower-level water users' associations in its area of operation shall constitute the general body of alpika samiti, rajbaha samiti or shakha samiti as the case may be.



(3) In the case of minors off-taking from branch canal, a water users' association comprising of specified number of water users' associations at minor level may be constituted and affiliated with water users' association at branch level. The status of such water user association shall be that of a water user association at distributary level. Further the managing committee of such water users' association shall form the general body of water users' association at branch level for the purpose of representation and other functions.

(4) If the constitution of water users' association as aforesaid in sub-section (3) is not feasible, then the level of affiliation of alpika samitis concerned shall be determined after consultation as prescribed with each such alpika samiti and affiliating water users' association. The managing committee of the water users' association at minor level in such case shall form the general body of the affiliating water users' association for purpose of representation and other functions.

(5) If a minor directly oftakes from main canal, the competent canal officer shall discharge all functions and powers of a distributary level water users' association for such alpika samiti(s) till such affiliation.

10. (1) There shall be a managing committee for each water users' association at minor, distributary or branch level. The committee will be comprised of a chairperson, a secretary a treasurer and such number of other members as may be prescribed. If there is no representation of persons belonging to schedule caste or schedule tribes or of women or panchayats of appropriate level situated at the tail end of canal, in the managing committee, then one person against each unrepresented category shall be co-opted by the managing committee from amongst members of the general body or panchyats of appropriate level situated at the tail end of canal, as the case may be. Such managing committee shall be responsible to discharge the functions of the water users' association in its area of operation.

Managing  
committee of  
alpika samiti,  
rajbaha samiti  
and shakha  
samiti

(2) The members of the managing committee of the water users' association at minor, distributary and branch level shall be elected for such period and in such manner as may be prescribed.

(3) If any member of the managing committee fails to discharge the duties under this Act, he may be recalled in the manner as may be prescribed.

(4) The office bearers of the managing committee shall be elected by the committee itself from amongst its elected members.

11 (1) All chairpersons of branch committee shall constitute the pariyojna samiti.

(2) The members of pariyojna samiti shall select a chairperson from amongst themselves by consensus in such manner as may be prescribed.

Constitution of water  
users' associations at  
project level  
(Pariyojna samiti)

12. (1) Resignation of a member of the managing committee of a water users' association, at any level may be accepted by the managing committee of the water users' association concerned.

Acceptance of  
resignation

(2) Resignation of the chairperson of a water users' association may be accepted by the managing committee of immediate upper level water users' association or competent canal officer as the case may be.

Act to apply to existing water users' associations

13. Any existing water users' associations in a delineated area constituted in accordance with Government Order 2188/27-4-67W/96 Dated 1-5-2006 prior to the date of commencement of this Act, shall continue to function if the provisions of the agreement entered into between the competent canal officer and the water users' association is not inconsistent with the provisions of this act and rules made thereunder.

Authentication of orders and documents of water users' association

14. All permissions, orders, decisions, notices and other documents, of the general body or managing committee of a water users' association shall be authenticated by the signature of the secretary of water users' association.

Act not to be invalidated by infirmity or vacancy etc

15. No actions or proceedings of the general body or the managing committee of a water users' association shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy or defect in the constitution of such water users' association, if minimum quorum as prescribed and the chairperson are present, in the meeting.

Transfer of management of Irrigation System to water users' associations

16 (1). After notification of constitution of a water users' association under sub-section 1 of section 7 or sub-section 1 of section 9(1) management of the part of irrigation system falling in its area of operation shall be handed over by the Irrigation Department in the forthcoming crop season (rabi or kharif as the case be) to outlet/ minor or distributary level water users' association as the case may be. If such crop season falls within one month then such handing over shall be given effect on coming of next following season.

(2). Civil works such as rehabilitation of minors planned and funded by the State Government shall be implemented by water users' association after transfer of management under sub section (1). of section 16 where any water users' association is unable to implement the plan, the irrigation department may carry out these works as a special case on behalf of water users' association to the satisfaction of the water users' association.

Ownership of Irrigation System to rest with State Government

17. The ownership of the irrigation system, whose management has been transferred to the water users' association for fulfilling the objective of this Act, shall remain with the State Government.

Agreement between the Government and water users' association and between water users' associations

18 (1). For the purpose of supply of bulk water to the water users' associations and related issues, the distributary level water users' association shall enter into an agreement with the Irrigation Department in such manner as may be prescribed. Every other lower level water user's association shall enter into similar agreement with its immediate upper level water users' association.

(2) In the absence of a written agreement, or non renewal of any existing agreement, every supply of canal water shall be deemed to be given at the rates and subject to the conditions laid down by the State Government or the competent authority so designated for the purpose.

(3) No right to the use of the water from a canal shall be, or be deemed to have been acquired, nor shall the Irrigation Department/water users' association, as the case may be, be bound to supply to any water users' association/land-holder with available water except in accordance with the terms and conditions of the agreement.

(4) The competent canal officer or the water users' association, as the case may be, shall not stop the supply of water to a lower level water users' association or a land-holder except in the following cases: -

(i) whenever and so long as it is necessary to stop such supply for the purpose of executing any work ordered and sanctioned by the competent canal officer;

(ii) whenever and so long as a canal or water course is not maintained in such proper shape and repair is necessary to prevent wasteful escape of water therefrom;

(iii) within such period as may be fixed from time to time by the competent canal officer;

(5) (i) No water users' association shall sell or sublet or otherwise affect its function of water distribution.

(ii) No water users' association shall be entitled to sell or sublet or otherwise affect the right to use any work, building or land allotment to any canal.

(iii) If it is found that the managing committee of a water users' association is unable to perform its functions, then the competent canal officer shall assist it and try to strengthen it to enable it to perform its functions. If the managing committee fails to perform even after such assistance the competent canal officer may initiate its dissolution and constitution of a new managing committee in such manner as may be prescribed.

19. Every water user's association shall prepare its crop plan according to its water budget taking into account conjunctive use of surface and ground water well before the crop season and accordingly plan a preliminary irrigation program, in consultation with the competent canal officer. Such cropping pattern and irrigation programme shall be consistent with the State Government's agriculture and irrigation policies.

Water budgeting

20. The competent canal officer shall provide and maintain a measuring device for volumetric measurement of water at the point of supply to water users' associations as prescribed and also determine the water carrying capacity every year for every season considering practical situation and directives issued by State Government.

Installation of measuring device

21. Water shall be supplied by the Irrigation Department to the distributary level water users' associations measured volumetrically at supply point. The competent canal officer and the water users' association shall jointly check the discharge at the beginning of each crop season. Such joint measurements of discharges may also be made at other points of time if so required for correct assessment of water delivery to water users' association during the fasal period. Water charge shall be impressed at the end of each crop season fasal wise.

Modes and rates for supply of water to waters users' association

22. Without prejudice to any other mode of recovery, which is being taken or may be taken under this Act or any other law for the time being in force, any sum lawfully due under this Act and certified by the managing committee of a water users' association which remains unpaid by the land owner/water users/ water users' associations shall be recovered by the Collector as if it were an arrears of land revenue.

Recovery of dues as arrears of land revenue

23. No claim shall be made against the State Government or the water users' association for compensation in respect of loss caused by the failure or stoppage of the water in a canal, by reason of any cause beyond the control of the State Government or water users' association, or of any repairs, alterations or additions to the canal, or of any measures taken for regulating the proper flow of water therein or for maintaining the established course of the irrigation which the competent canal officer considers necessary; but the land-holder suffering such loss as prescribed may claim such remission of the ordinary water charges payable for the use of the water as is authorized by the State Government on the recommendations of water users' association or competent canal officer as the case may be.

Claims to compensation and remission in case of failure or stoppage of water supply

Apex committee (Sheersh samiti)	<p>24.(1) The State Government may constitute a State level committee to be called the Sheersh Samiti with a Chairperson and such number of members not exceeding 20 of which half members shall be Government official having such qualifications as may be prescribed and the rest shall be the chairpersons of water users' associations as may be prescribed.</p> <p>(2) The committee shall be responsible for monitoring, evaluation and research on the participatory irrigation management process in the State and shall provide necessary feedback to the State Government and advise it on policy matters.</p> <p>(3) The committee shall exercise such powers and functions as may be prescribed.</p>
Appointment of registrar, election officer, competent canal officer and appellate officer	<p>25. (1) The State Government may by notification in the gazette appoint such officers of the State Government as the Registrar, Election Officer, competent canal officer and appellate officer.</p> <p>(2) The powers and functions of officers appointed under sub- section (1) shall be such as may be prescribed.</p>
Deputation of Government employees to water users' association	<p>26. (1) The State Government may, on request, depute its employees to a water users' association in such manner as may be prescribed.</p> <p>(2) The water users' association may hire / appoint any person to carry out day- to-day work related to office/field at wages as approved in the form of pay and/or food grains.</p> <p>(3) The remuneration and allowances and other service conditions of office bearers as well as of regular employees of water users' associations shall be such as may be prescribed.</p>
<p><b><u>Chapter III</u></b></p> <p><b>SOURCES OF FUNDS</b></p>	
Sources of funds of water users' association	<p>27. (1) The main source of funds of a water users' association shall be its share as determined by the State Government in the water charges recovered in respect of water supplied by it</p> <p>(2) A water users' association may also raise funds through the following sources:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) income from the properties and the assets in the area of operation of the irrigation system with approval of competent canal officer.</li> <li>(ii) penalty and compounding of fees.</li> <li>(iii) contributions from land-holders.</li> <li>(iv) donations.</li> <li>(v) interest on deposits.</li> <li>(vi) borrowings.</li> <li>(vii) fees for services.</li> <li>(viii) grants from State or Central Government.</li> <li>(ix) income from such other source. as may be prescribed.</li> </ol>
Utilization of funds	<p>28. The funds of the water users' association shall be utilized towards fulfillment of its objectives and the performance of its functions.</p>
Budget	<p>29. The managing committee of a water users' association shall prepare an annual budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure, which shall be placed before the general body for approval in the prescribed manner.</p>
Deposit and administration of the funds	<p>30. A water users' association shall keep its funds in the accounts opened in its name in either a scheduled bank or a post office.</p>
Reserve fund	<p>31. Every water user's association shall maintain a reserve fund in a separate account which shall be utilized in such manner as may be prescribed.</p>
Audit	<p>32. Every water user's association shall get its annual accounts audited by such auditor as may be prescribed.</p>

Chapter IV  
**OFFENCES AND PENALTIES**



33. (1) Whoever, without any lawful authority does any of the following acts within the delineated area of operation of an irrigation system, that is to say;

- (i) damages, alters, enlarges or obstructs any canal work or field drain;
- (ii) interferes with, increases or diminishes the supply of water in or the flow of water from, through, over or under, any canal or field drain;
- (iii) uses without authorization of competent authority, water outside the area of operation of a water users' association;
- (iv) neglects to take the proper precautions for the prevention of waste of water or interferes with the authorized distribution of water or uses such water in an unauthorized manner;
- (v) corrupts or fouls the water of any canal so as to render it less fit for the purposes for which it is ordinarily used;
- (vi) destroys or moves any level mark made, water-gauge or any apparatus fixed by the authority of a public servant or water users' association;
- (vii) passes, or causes any animals or vehicles to pass on or across any of the works, banks or channel of a canal or field drain contrary to rules except for cattle ghat wherever provided and roads designated for such use;
- (viii) obstructs the implementation of scheduled irrigation;
- (ix) encroaches upon the canal or field drain or damages the canal assets or Government property;
- (x) contravenes the provisions of this Act and rules made there under; shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to the cost of damage or both.

Provided that an additional fine not less than one thousand rupees may be imposed for a subsequent conviction of the same person for a like offence.

(2) Whenever the offence under subsection (1) is committed by a company or a society every person who, at the time the offence is committed was in-charge of, and was responsible to the company/society for performing its functions and having powers to perform such functions, as well as the company/society, shall be liable to be proceeded against and punished for such offence.

(3) Whenever any person is fined for an offence committed under this Act, the appropriate court may direct that the whole or any part of such fine may be paid by way of compensation to the person injured by such offence.

34. (1) The alpika samiti or the other upper-level water users' association shall act as the competent investigating agency for investigating the offences under sub-section (1) of section 33. The immediate upper-Level water users' association or the competent canal officer as the case may be shall investigate the offences committed in the jurisdiction of a Lower-Level water users' association.

(2) The Chair-person of a water users' association, in whose jurisdiction the offence is committed, shall be bound to inform promptly to the competent investigating agency regarding the offence as soon as he has the knowledge of such offence and upon request made by the competent investigating agency, he shall assist it in the investigations.

(3) It shall be the duty of police officers, employees of the State Government and members of water users' association, in whose knowledge any offence, punishable under this Act is committed or attempted to be committed, to give immediate information to the competent investigating agency of such commission or, attempt and to assist the competent investigating agency in the exercise of its authority under this Act.

Investigation of  
the offences

(4) A competent investigating agency shall start to investigate as soon as possible an offence punishable under section 33 committed within the the area of the jurisdiction thereof.

(5) The competent investigating agency may exercise the same powers in respect of such investigation as an officer-in-charge of a police station may exercise in a cognizable offence under the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 as amended from time to time.

(6) If the Chairperson of a water users' association is not performing in accordance with the provisions laid down in the sub section (2) he may be treated as one of the accomplices in the offence by the competent investigating agency and be punished accordingly.

Institution of  
proceedings

35. No court shall take cognizance of an offence under section 34 except on complaint in writing made by the competent investigating agency as the case may be.

Compounding of  
offences

36. (1) On the application of a person, company of society accused of an offence under this Act, the immediate upper-level water users' association or the competent canal officer as the case may be, may at any stage compound such offence by levying a composition fee not exceeding the fine which could be imposed for such offence:

Provided that no compounding of offences shall be done in case of such a person, company or society, who had committed an offence under this Act twice before or whose land had been benefited twice before by such wrongful acts.

(2) If the amount of the composition fee levied under sub section (1) remains unpaid, the immediate upper-level water users' association or the competent canal officer, as the case may be, shall cause it to be recovered as arrears of land revenue.

Appeal

37. Any person aggrieved by the judgment or order under section 33 may prefer an appeal in the competent court in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure 1973 as amended from time to time.

Liability when  
person using water  
unauthorized cannot  
be identified

38. If water supplied through a canal or a water course is used in an unauthorized manner, and if the person by whose act or neglect such use has occurred cannot be identified, the person on whose land such water has flowed if such land has derived benefit therefrom, or if such person cannot be identified or if such land has not derived benefit therefrom and the owner of such land has not informed timely about such unauthorized flow of water to the competent authority., all the persons chargeable in respect of the water supplied, shall be liable, or jointly liable, as the case may be, to the charges made for such use.

Liability when water  
runs to waste

39. If water supplied through a canal or a water course be suffered to run to waste, and if, after inquiry by water users' association, the person through whose act or neglect such water was suffered to run to waste cannot be discovered, all the users chargeable in respect of the water supplied through such canal or water course shall be jointly liable for the charges made in respect of the water so wasted.

Charges recoverable  
in addition to  
penalties and decision  
of questions under  
sections 38 and 39

40. (1) All charges for the unauthorized use or waste of water may be recovered in addition to any penalties incurred on account of such use or waste.

(2) All decisions under sections 38 and 39 shall be made by the water users' association subject to an appeal to the appellate officer.

41. Nothing in this Act shall prevent any person from being prosecuted and punished under any other law for the time being in force for any act of omission or commission punishable by or under this Act:

Punishment under  
any other law not  
barred



42. Unauthorized irrigation should be charged not less than 10 times the normal authorized use rate. If such unauthorized use is repeated by such users, the charge shall be at the rate equal to the amount of 20 times of the normal authorized rate for such repeat offences

Penal charges

#### Chapter V

### RESOLUTION OF CONFLICT

43.(1) The dispute or difference relating to constitution, management, powers and functions of a water users' association shall be resolved as follows:

Settlement of dispute:

(i) Any dispute or difference arising between its members shall be resolved by the managing committee of the water users' association.

(ii) Any dispute or difference arising between a member of water users' association and a members of its managing committee shall be resolved by the immediate upper-level water users' association or the competent canal officer, as the case may be.

(iii) Any dispute or difference arising between water users' associations shall be resolved by the immediate upper-level water users' association or the competent canal officer, as the case may be.

(2) Every dispute or difference under sub-section (1) shall be disposed off within thirty days from the date of reference of the dispute in such manner as may be prescribed.

44. (1) Any party aggrieved by the decision made or orders passed by a water users' association may prefer an appeal to the immediate upper-level water users' association or the corresponding competent canal officer, if such upper-level water users' association does not exist.

Appeals

(2) Appeal under sub section (1) shall be made within thirty days from the date of the decision or the orders.

(3) Every appeal under sub section (1) shall be disposed off within thirty days from the date of filing thereof.

(4) Any party aggrieved by the decision or order of the competent canal officer may appeal to appellate officer within 30 days from the date of such decision or order. The decision taken by the appellate authority shall be final and binding.

#### Chapter VI

### MISCELLANEOUS PROVISIONS

45. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be maintained against any employee, office bearer and member of managing committee of a water users' association at any level and Government employees in respect of anything done in good faith or purporting to be done under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Protection of things  
done in good faith



Power of the State Government to issue directions

46. The State Government may issue such orders and directions of general nature not inconsistent with the provisions of this Act and as it considered to be necessary in furtherance of the objects of setting up water users' associations.



Inquiry

47. The State Government if satisfied that any action of the water users' association involves violation of any provision of this Act or any irregularity it may, by order, direct the competent canal officer or any other officer to make inquiry or to hold like appropriate proceedings under this Act, and the competent canal officer or any other officer shall report to the State Government, the result of the inquiry or the proceedings within such period as may be specified in the order.

Power to summon and examine witnesses

48. Any officer conducting any inquiry under this Act shall have power to exercise all such powers connected with the summoning and examining of witnesses as are conferred on a civil court under the provision of the Code of Civil Procedure 1908, and every such inquiry shall be deemed to be a judicial proceeding.

Jurisdiction of civil courts

49. Except the claim for supply of water or specifically provided under this Act all claims against the State Government or the water users' associations in respect of anything done or any action taken under this Act may be tried by the civil court.

Training

50. The State Government shall initially make arrangements for the capacity building of water users' associations for discharging their functions under this Act and may also facilitate subsequent training on the basis of full or partial payment.

Power to make rules

51. The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to remove difficulties

52. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, removing such difficulty by order published in the Gazette direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

Overriding effect of this Act

53. The provisions of this Act shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, The Uttar Pradesh Area Development Act, 1976 and the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Jal Prabandh Samiti) Rules, 1989 or in any other law for the time being in force.

Repeal and saving

54. (1) The Uttar Pradesh Participatory Irrigation Management Ordinance, 2008 is hereby repealed.

U.P. Ordinance  
No. 8 of 2008

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Uttar Pradesh Canal System of 74,000 K.M. length and 29,000 tube well are under the administrative control of the Irrigation Department of the State Government. The gross command area of Uttar Pradesh is 2,579 crore hectare of which irrigation facility is available to 66 percent. Of the total 1.697 crore hectare of irrigated area 26.3 percent is irrigated by canals. In spite of the said irrigation facilities the agricultural productivity of command area was inadequate as compared to other States of the Country. The canal irrigation could not work with its full skill the reason of which was inadequate maintenance including short realization of revenue and increasing expenditure on management and the total management by the State Government. The other aspects to be worried were large number of agricultural holdings in the command area due to which the farmers were not economically capable themselves to adopt modern means. As a result thereof the distribution of irrigation water, maintenance of record of irrigated area, recovery of revenue and management etc. had become very difficult for the government institutions. It was felt that the productivity of agricultural holdings of command area may continue to decrease unless the farmer of the command area form their associations and adopt modern agricultural process, irrigation and input management. Therefore for the proportional and desired utilization of canal water, and long term stability of irrigated agriculture with the co-operation of the community, it was necessary to secure community co-operation by forming water users associations. It was, therefore decided to make a law to provide for constitution of the water users' association and empowering them to play their role as effective instruments of participatory irrigation management.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Participatory Irrigation Management Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance No. 8 of 2008) was promulgated by the Governor on December 26, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.